केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/175

दिनांक: 24.05.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00169
CICOM/R/2017/00429

अपीलकर्ता : श्री नरोत्तम कुमार,
पुत्र – स्व0 श्री विजय कुमार चौरसिया,
ग्राम – इंगलिश पाटम, पो0 – पाटम,
जिला – मुंगेर, बिहार – 811214.

निर्णय की तारीख : 24.05.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.02.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.05.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	133874/19.05.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	216/22.05.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 20.12.2016 के पत्र से संबंधित सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलावार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरूद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 21.02.2017 का आर.टी.आई. आवेदन एवं अपीलकर्ता के प्रथम अपील आवेदन में कोई समानता नहीं है । अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित दिनांक 20.12.2016 के पत्र से संबंधित जानकारी मांगी है जबकि प्रथम अपील आवेदन में रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सूचना मांगी है कि वे सफल हैं या नहीं । इस संदर्भ में अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है कि प्रथम अपील में केवल आर.टी.आई. आवेदन में मांगी गई सूचनाओं पर ही विचार किया जाता है, अन्य बातों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि अपीलकर्ता के दिनांक 21.02.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । साथ ही अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा बताई गई कमियों को दूर करते हुए श्री तलवार को पत्र लिखें ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अत: प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रू0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 38 एफ 373485 अपीलकर्ता को वापस किया जाता है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
24 MAY 2017
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।